न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/606

1. रामेश्वर लाल पुत्र श्री मोहरू राम, निवासी वार्ड नं. 2, ढाणी चोटियावाली, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।
3. पटवारी, पटवार हल्का पंचायत ढाल्यावास, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर।
4. ग्राम पंचायत ढाल्यावास, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान।
5. घासीराम पुत्र झुंथाराम निवासी चोटियावाली गांव ढाल्यावास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। **(आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा)**
6. खेमाराम पुत्र झुंथाराम, निवासी चोटियावाली गांव ढाल्यावास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। **(आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा)**
7. छीतरमल पुत्र सुवालाल निवासी चोटियावाली गांव ढाल्यावास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। **(आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा)**
8. बनवारी पुत्र लच्छुराम, निवासी गौरिया टीबा, गांव ढाल्यावास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। **(आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा)**
9. गीगाराम पुत्र लच्छुराम, निवासी गौरिया टीबा, गांव ढाल्यावास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। **(आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा)**
10. दुर्गा प्रसाद पुत्र लच्छुराम, निवासी गौरिया टीबा, गांव ढाल्यावास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। **(आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा)**
11. गोपाल पुत्र लच्छुराम, निवासी गौरिया टीबा, गांव ढाल्यावास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। **(आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा)**

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या कैम्प जयरामपुरा–04/2021 निर्णय दिनांक 04.02.2022 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री के. आर. शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बाद तामील अनुपस्थित।
4. श्री सुमेर सिंह बड़सरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 11 की ओर से।

निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक :– 23.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 04.02.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 21.03.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु पटवार मण्डल जयरामपुरा तहसील खण्डेला के राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियों वाली में स्थित भूमि

उपखण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर 1408, 1406, 1405, 1407, 1394 में होता हुआ उक्त रास्ता ढाणी चोटियों वाली से ढाणी गोरीया टिबा तक जाता है, जो रास्ता मौके पर बारहमासी चलना बताया गया है। तहसीलदार खण्डेला द्वारा उक्त प्रचलित रास्ता को ग्राम पंचायत ढाल्यावास के अनापत्ति प्रमाण पत्र मय प्रस्ताव संख्या 3 एवं ग्राम जनता ग्राम पंचायत ढाल्यावास के सहमति पत्र के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर मुताबिक नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकार्ड मय जमाबंदी इत्यादि में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को भिजवायी गयी।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने एवं तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रस्तावित किया गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रखने तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 को पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 04.02.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 04.02.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 04.02.2022 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजात का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना एवं विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना किये बिना एवं सरसरी तौर पर पारित किया गया है, जो कि आदेश निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलार्थी उक्त खसरा नम्बरान का रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसको न तो कभी नोटिस दिया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई सुनवाई के लिये नोटिस दिया, ना ही तहसीलदार आदि ने नोटिस दिया तथा अपीलार्थी पक्ष को सुने बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मनमाना, एकतरफा आदेश पारित किया है, जो कि सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित रास्ते में आमजन के मकान बने हुए है, जिनमें कई परिवार निवास करते हैं, ऐसी स्थिति में उक्त स्थान पर रास्ता नहीं दिया जा सकता है किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित कर भारी विधिक भूल की है, जो कि आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी व तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट बनायी गयी है, वह पूर्णतः एकतरफा, मनमाने रूप से बनायी गयी है, जिसमें अपीलार्थी के पक्ष को सुना नहीं गया, जिससे अपीलार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसकी ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं भारी विधिक भूल की है, जो कि आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता न्यायाल्य में उपस्थित हुए और ना ही अपीलार्थी को जवाब का कोई अवसर दिया और ना ही जवाब बन्द किया तथा उक्त पत्रावली में विधि विरूद्ध जाकर एकतरफा व मनमाना आदेश पारित कर दिया, जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी

कि आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तहसील की रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, वो रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है, जो कि व्यक्तियों ईष्यावश अपीलार्थी के मकानों को तुड़वाने हेतु रिकॉर्डेड खातेदार नहीं होने के बावजूद हस्ताक्षर किये गये हैं, इसके बावजूद भी उक्त मनमाना आदेश पारित किया गया है, जिससे अपीलार्थी के विधिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसकी ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर भारी विधिक भूल की है, जो कि आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है, रास्ता निकाले जाने हेतु भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारान को नोटिस दिया जाता है, नोटिस नहीं मिलने पर सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है, रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष को सुना जाता है एवं इसके पश्चात ही कोई रिपोर्ट बनायी जा सकती है किन्तु उक्त प्रकरण में इस तथ्य की अनदेखी की गयी है। जिससे अपीलार्थी के विधिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसकी ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर भारी विधिक भूल की है, जो कि आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। जिस पत्रावली में किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई हो, कोई वकील उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी मनमर्जी व विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया हो, वह आदेश विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है, जिससे अपीलार्थी के विधिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसकी ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर भारी विधिक भूल की है, जो कि आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट के पास इस रास्ते के अलावा अन्य भी सुगम रास्ते उपलब्ध है किन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी को नाजायज रूप से हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और मनमाना आदेश पारित किया है, जो कि सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट जिस जगह से रास्ता दिलाये जाने की जो अवैध मांग कर रहे हैं, वहां पर अपीलार्थी के मकान वगैरहा बने हुए हैं, जो कि पूर्व पटवारी की रिपोर्ट में भी अंकित है किन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी को नाजायज रूप से हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और मनमाना आदेश पारित किया है, जो कि सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1406 किस्म बारानी है, जिसका यह भाग है, उक्त भूमि की किस्म बिना किसी आधार के रास्ता दर्ज की गयी है, जिसके आधार पर विधि विरुद्ध कार्यवाही करने का अप्रार्थी तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है एवं आवासीय परिसरों के मध्य रास्ता दर्ज करने बाबत की गयी कार्यवाही विधि विरूद्ध है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिनांक 22.11.2021 को जो पारित किया गया था, उसमें भी प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 1406 का हवाला नहीं दिया गया और ना ही प्रार्थी के खसरा नम्बर में कोई रास्ता निकालने का आवेदन किया गया और प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध जाकर रंजिशवश प्रार्थी के खसरा नम्बरान की भूमि में से रास्ता निकाला गया है, जो कि विधि अनुसार सही नहीं है, जबकि अन्य प्रार्थीगण के पास इस रास्ते से भी सुगम अन्य रास्ते मौजूद है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, तथ्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देकर तथा प्रत्यर्थीगण के मनमानें कथंनों पर एकतरफा रूप से विश्वास करते हुए उक्त विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जिससे न्याय की मंशा पूर्ण नहीं हुई है तथा अपीलार्थी के विधिक हितों पर कुठाराघात हुआ है। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियों वाली, पंचायत हल्का जयरामपुरा,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसील खण्डेला स्थित खसरा नम्बर 1408, 1406, 1405, 1407, 1394 में से होकर रास्ता गैर मुमकिन ढाणी चोटियावाली से ढाणी गोरिया टिबा तक जाता है, जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है, के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.02.2022 की अनुपालना में मौके व राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने एवं मौके पर रास्ता निकालने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी सूरत में प्रार्थी को उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के विरूद्ध प्रार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करें। अतः अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956, धारा 131, 132 एवं राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 की धारा 58, 59, 60 व 66 के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 204/22 में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेण्ट को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रत्यर्थीगण मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 लगायत 11 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु पटवार मण्डल जयरामपुरा तहसील खण्डेला के राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियों वाली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1408, 1406, 1405, 1407, 1394 में होता हुआ उक्त रास्ता ढाणी चोटियों वाली से ढाणी गोरीया टिबा तक जाता है, जो रास्ता मौके पर बारहमासी चलना बताया गया है। तहसीलदार खण्डेला द्वारा उक्त प्रचलित रास्ता को ग्राम पंचायत ढाल्यावास की अनापत्ति मय प्रस्ताव संख्या 3 एवं ग्राम जनता ग्राम पंचायत ढाल्यावास के सहमति पत्र के अनुसार तैयार प्रस्ताव के मुताबिक नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकार्ड मय जमाबंदी इत्यादि में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को भिजवायी गयी।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने एवं तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रस्तावित किया गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रखने तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 को पारित किये गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2022 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जिसको नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत ढाल्यावास की अनापत्ति मय प्रस्ताव संख्या 3 तथा ग्राम जनता ग्राम पंचायत ढाल्यावास के सहमति पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2022 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर